

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र
सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग
उत्तराखण्ड शासन
अपर आमवाला, नालापानी, देहरादून-248008

विज्ञापन संख्या-04/2026

वाक-इन-इन्टरव्यू

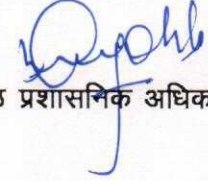
उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के अन्तर्गत "Ground Water Quality Project" परियोजनाआ हेतु अनुबन्ध के आधार पर 01 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो नियुक्त किये जाने प्रस्तावित है। इस हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जो निम्नानुसार पद के अनुरूप योग्यता रखते हों, वे अपना आवेदन पत्र जो निदेशक, उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, देहरादून को सम्बोधित हों, के साथ अपने मूल अभिलेखों, अन्य प्रमाण पत्रों एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ दिनांक 08.06.2026 को पूर्वान्ह 10:30 बजे वाक-इन-इन्टरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं:-

परियोजना का नाम	पद/संख्या	योग्यता	नियत पारिश्रमिक
"Ground Water Quality Project"	जूनियर प्रोजेक्ट फेलो-01	अनिवार्य अर्हता—किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ रिमोट सेंसिंग एण्ड जी.आई.एस./जियोलॉजी/हाइड्रोलॉजी/कम्प्यूटर साइंस/भौतिक विज्ञान एवं जियोइन्फॉर्मेटिक्स विषय में एम.एस.सी./एम.टैक की उपाधि। अधिमानी अर्हता— 1. सम्बन्धित क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक आवश्यक होंगे। उम्र: सामान्य संवर्ग हेतु अधिकतम 28 वर्ष।	जूनियर प्रोजेक्ट फेलो पदके लिए रु0 24,000/- + 16% की दर से मकान किराया भत्ता प्रतिमाह।

अन्य शर्तें—

- आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपने समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।
- उक्त अस्थायी पद परियोजना हेतु अनुबन्ध के आधार पर है। वर्णित पोजीशन पर नियुक्ति "Ground Water Quality Project" परियोजनाआ हेतु 06 माह अथवा परियोजना समाप्ति जो भी पूर्व हो के लिये की जाएगी। कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर केन्द्र को उनका अनुबन्ध कभी भी समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। परियोजना की निर्धारित अवधि के पूर्ण होने के उपरान्त उक्त पोजीशन स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी।
- साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई टी.ए./डी.ए. देय नहीं होगा।
- अभ्यर्थी की आयु की गणना दिनांक 01.01.2026 से की जायेगी।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आयु में नियमानुसार छूट उपलब्ध होगी।
6. उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत आवेदित किसी अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र में किसी पद पर संविलियन/नियमतीकरण की कोई सम्भावना नहीं है।
7. उपरोक्त रिक्त पद को भरने अथवा न भरने का अधिकार केन्द्र के पास सुरक्षित है।
8. समस्त प्रकरणों पर निदेशक, यू-सैक का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।



वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, यू-सैक